न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 94/2017 अपील

उनवान

1.श्रीमती शांता पत्नि नोरतमल प्रजापत निवासी सेन्ट अंसलम स्कूल के पीछे, सुभाषनगर, भीलवाड़ा
2.श्रीमती डाली पत्नि मांगू गाडरी निवासी गाडरी खेड़ा त0 भीलवाड़ा राज0)

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1.श्री देबीनाथ पिता गुलाब नाथ रावल नाथ योगी निवासी नाथों का खेड़ा त0 भीलवाड़ा
2.मु0 गंगा बेवा गुलाब नाथ रावल जाति नाथ योगी निवासी नाथों का खेड़ा तहसील भीलवाड़ा
3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा (राज0)

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भीलवाड़ा, बमामले ना0सं0 1382 दिनांक24.02.2010,

उपस्थित :— श्री सुरेश सेन अधि0 अपीलार्थीगण की ओर से
श्री विपुल बापना—राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक :03 /07/2018

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार भीलवाड़ा, बमामले नामान्तरकरण संख्या 1382 दिनांक 24.02.2010 के खिलाफ दिनांक 01.11.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मालोला में स्थित आ0नं0 1647 रकबा 2.03 बीघा भूमि स्थित है इसमें से उत्तरी तरफ का हिस्सा रकबा 01.03 बीघा भूमि को अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 13.01.2009 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया तभी से उक्त भूमि पर कब्जा अपीलार्थीगण का ही चला आ रहा है । उक्त भूमि विक्रयपत्र दिनांक 13.01.2009 के आधार पर पटवारी हल्का मालोला को नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का मालोला के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1382 भरकर दिनांक 07.10.2009 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया।ग्राम पंचायत द्वारा इसी प्रकार के प्रकरण जिनमें जाति रावल होने से नामान्तरकरण निरस्त हुए जिनकी अपील जिला कलक्टर के यहां विचाराधीन है जहां से निर्णय होने पर उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसे तहसीलदार भीलवाड़ा ने दिनांक 24.02.2010 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया । जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं थी। अपीलार्थीगण के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से खाते की नकल प्राप्त करने पर यह जानकारी हुई कि भूमि अभी तक विक्रेता के नाम पर ही दर्ज है। इस पर पटवारी हल्का से नामान्तरकरण संख्या 1382 की नकल दिनांक 03.08.2017 को प्राप्त करने पर कानूनी राय लेकर अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे मियाद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसके लिए अपील को मियाद में शुमार हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा तथाकथित विक्रयपत्र दिनांक 13.01.2009 विधिवत है अथवा नहीं इस बाबत कोई जांच व तहकीकात नहीं की जबकि राजस्व रेकार्ड में विक्रेता की जाति नाथ योगी के बजाय रावल शब्द लिखा हुआ जो कि गोत्र है जिसे साबिक रेकार्ड के अनुसार दुरस्त कर जाति अंकित कर नामान्तरकरण को स्वीकृत कर देना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के नामान्तरकरण संख्या 1382 को खारिज करने में भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1382 निर्णय दिनांक 24.02.2010 को निरस्त किया जाकर पुनः नामान्तरकरण को स्वीकृत फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.11.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 04.04.2018 को एक तरफा आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 1382 की प्रमाणित फोटो प्रति, विक्रयपत्र दिनांक 17.03.2009 की फोटो प्रति, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 की फोटो प्रति, ग्राम मालोला की आ0नं0 1646 व 1657 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 36 की फोटो प्रति, राशन कार्ड ग्राम पंचायत मालोला पं0स0सुवाणा श्री देबीनाथ पिता गुलाबनाथ योगी की फोटो प्रति, तहसीलदार भीलवाड़ा से श्री श्री देबीनाथ पिता गुलाबनाथ निवासी नाथों का खेड़ा के नाम जारी अन्य पिछड़ी जाति नाथ का जारी प्रमाण पत्र संख्या 34233 दिनांक 24.12.2008 की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र गंगा बेवा गुलाबनाथ, देबीनाथ पिता गुलाबनाथ की फोटो प्रतियां, ग्राम पंचायत मालोला के द्वारा श्री देबीनाथ पिता गुलाबनाथ (रावल) नि0 नाथों का खेड़ा के नाम जाति सम्बन्धी पत्र जारी किया जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस वकील अपीलार्थी की सुनी गई।

3. बहस में वकील अपीलार्थीगण ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 से जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 17.03.2009 से 1.03 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब भीलवाड़ा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1382 दायर कर दिनांक 24.02.2010 को बिना जांच किए निर्णित करने में भूल की है जबकि अपीलार्थीगण नाथ जाति के होकर अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा रावल जाति मानते हुए

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण को खारिज करने में भारी भूल की है जिसे निरस्त फरमा विक्रयपत्र के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण निर्णित करने का आदेश फरमावें।बहस में राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में जो जाति दर्ज है उसी को आधार माना जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित निर्णय पारित किया है। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ 11(8)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./09/7334–68 दिनांक 24.02.2009 को जारी किया जिसमें भी स्पष्ट किया है। प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

4. हमने वकील अपीलार्थीगण एवं राजकीय अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत अपील मीमों के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपील के गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व अवधि अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना है । अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 24.02.2010 के विरूद्ध दिनांक 01.11.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। इसके साथ विलम्ब अवधि को क्षम्य किए जाने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी की नकल दिनांक 13.08.2017 को प्राप्त कर विधिक राय से विलम्ब अवधि को क्षम्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि प्रत्यर्थीगण के द्वारा दफा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र का लिखित या मौखिक रूप से खण्डन नहीं किया जिससे अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अविश्वास करने का उचित कारण न्यायालय के समक्ष नहीं होने से अपीलार्थीगण का दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किए जाने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

5. अब मूल अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 जिनके नाम ग्राम मालोला की आ0नं0 1647 रकबा 2.03 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 36 में दर्ज रिकॉर्ड है। इसमें से 1.03 बीघा भूमि उत्तर तरफ की भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 17.03.2009 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा सम्वत् 2025 की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें आ0नं0 1647 रकबा 2.03 बीघा भूमि श्री गुलाब पिता घीसा रावल सा0देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार विक्रयपत्र दिनांक 17.03.2009 में भी विक्रेता प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 का नाम श्री देबीनाथ पिता गुलाबनाथ रावल व मु0 गंगा बेवा गुलाबनाथ रावल निवासियान नाथों का खेड़ा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में भी श्री गुलाबनाथ वल्द गीसा नाथ(रावल) सा0 नाथों का खेड़ा सा0देह खातेदार दर्ज है जिसमें आ0नं0 1646 व आ0नं0 1647 इनके नाम दर्ज है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार भीलवाड़ा से जारी है उसमें नाथ जाति का जारी है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है जिसकी पुष्टि राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 1994 में क्रम संख्या 24 पर योगी एवं नाथ दर्ज है परन्तु अपीलार्थीगण के द्वारा रावल जाति पिछड़ा वर्ग में होने के सम्बन्ध में कोई

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में केन्द्रीय गजट दिनांक 27 जुलाई 1977 जारी है जिसमें क्रम संख्या 50 पर रावल दर्ज है। जाति के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर से जारी आदेश क्रमांक एफ 11(8)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./09/7334–68 दिनांक 24.02.2009 में भी स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड को भी आधार माना जावे। इससे हम सहमत हैं। इस प्रकार रावल अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है और अनुसूचित जाति के द्वारा उनके नाम दर्ज कृषि भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के लोगों को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में भी प्रतिबन्धित किया है। राजस्व रिकॉर्ड एवं विक्रयपत्र में प्रत्यर्थीगण की जाति रावल दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1382 के सम्बन्ध में दिनांक 24.02.2010 को पारित निर्णय से हम सहमत है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा ग्राम मालोला के नामान्तरकरण संख्या 1382 आदेश दिनांक 24.02.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवावें।

आदेश आज दिनांक 03.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा